भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4070

(25 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण सड़क नेटवर्क विकास परियोजना

4070. डॉ. कडियम काव्य:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वारंगल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में और विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों और दूरदराज के भागों में विगत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण सड़क संजाल विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का वारंगल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में और विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में वर्तमान वित्त वर्ष में ग्रामीण सड़क विकास के लिए अतिरिक्त निधि आवंटित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा वारंगल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण सड़क परियोजनाओं को समय पर पूरा करने तथा सुदूर और जनजातीय क्षेत्रों में संपर्क में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ख): यह मंत्रालय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत कार्यों का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार ब्यौरा नहीं रखता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान वारंगल जिले में शुरू किए गए पीएमजीएसवाई कार्यों का ब्यौरा जिसमें तेलंगाना के वारंगल संसदीय निर्वाचन का क्षेत्र भी शामिल है, नीचे दिया गया है:

जिले का नाम	वर्ष	स्वीकृत सड़क कार्यों की संख्या	स्वीकृत सड़क की लंबाई (कि.मी. में)	स्वीकृत पुल कार्यों की संख्या	पूरे हो चुके सड़क कार्य की संख्या	पूरे हो चुके पुल कार्यों की संख्या	पूरी हो चुकी सड़क लंबाई (कि.मी. में)*
वारंगल	2021-22	0	0	0	1	0	6.28
	2022-23	0	0	0	1	0	22.81
	2023-24	1	4.67	4	0	0	52.23

* पूर्व में स्वीकृत कार्य शामिल हैं।

इसके अलावा , पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन के लिए राज्य को निधियों का आवंटन/ निधियां जारी करना राज्य से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर किया जाता है , जो अन्य बातों के साथ-साथ राज्य के पास उपलब्ध कार्यों , निष्पादन क्षमता और अप्रयुक्त शेष राशि पर निर्भर करता है। मंत्रालय द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन के लिए निधि पूरे राज्य को जारी की जाती है। इसके पश्चात संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जिला स्तर पर कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयों (पीआईयू) को निधियां पीआईयू की उपयोग क्षमता के आधार पर जारी की जाती हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान पीएमजीएसवाई के तहत तेलंगाना राज्य को कुल 73.3125 करोड़ रुपए और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) के तहत 59.26 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

(ग): 'ग्रामीण सड़के' राज्य का विषय है और पीएमजीएसवाई सड़कों को समय पर पूरा करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। परियोजनाओं के लिए निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु यह मंत्रालय राज्यों को समय पर केन्द्रीय अंश जारी करता रहा है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को विभिन्न क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों और अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों के माध्यम से पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़क कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए उपयुक्त आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है। इस संबंध में मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं -

i. राज्यों से कार्यान्वयन क्षमता और संविदा क्षमता बढ़ाने का अनुरोध किया गया है और इस संबंध में उनके अनुपालन की नियमित समीक्षा की जाती है।
ii. बोली दस्तावेज प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाया गया है।
iii. क्षमता निर्माण के लिए क्षेत्र के इंजीनियरों और ठेकेदारों के साथ-साथ उनके कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।
iv. उस क्षेत्र के राज्यों के समूह के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर वास्तविक और वित्तीय मापदंडों की नियमित और संरचित समीक्षा की जाती है।
v. राज्यों को सलाह दी गई है कि वे कार्यों के वित्तीय समापन के लिए कार्यान्वयन इकाइयों को राज्य के हिस्से सहित केन्द्रीय अंश समयबद्ध तरीके से जारी करें।

****